

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

मांग संख्या 94

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	1142.93	0.96	1143.89	1224.07	1.20	1225.27	1166.07	1.20	1167.27	1273.80	1.20	1275.00
वसूलियां	-1.65	...	-1.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1224.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1225.27</b>	<b>1166.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1167.27</b>	<b>1273.80</b>	<b>1.20</b>	<b>1275.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	29.90	0.81	30.71	41.55	1.00	42.55	35.30	1.00	36.30	36.80	1.00	37.80
2. संबद्ध कार्यालय सीसीपीडी	...	0.15	0.15	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>29.90</b>	<b>0.96</b>	<b>30.86</b>	<b>41.55</b>	<b>1.20</b>	<b>42.75</b>	<b>35.30</b>	<b>1.20</b>	<b>36.50</b>	<b>36.80</b>	<b>1.20</b>	<b>38.00</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>												
<b>राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम</b>												
3. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	290.60	...	290.60	315.00	...	315.00	350.00	...	350.00	316.70	...	316.70
4. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	129.98	...	129.98	165.00	...	165.00	139.00	...	139.00	165.00	...	165.00
5. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	76.79	...	76.79	135.33	...	135.33	111.00	...	111.00	115.10	...	115.10
<b>जोड़-राष्ट्रीय दिव्यांगजन कल्याण कार्यक्रम</b>	<b>497.37</b>	<b>...</b>	<b>497.37</b>	<b>615.33</b>	<b>...</b>	<b>615.33</b>	<b>600.00</b>	<b>...</b>	<b>600.00</b>	<b>596.80</b>	<b>...</b>	<b>596.80</b>
6. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	130.07	...	130.07	142.68	...	142.68	80.00	...	80.00	145.00	...	145.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं</b>	<b>627.44</b>	<b>...</b>	<b>627.44</b>	<b>758.01</b>	<b>...</b>	<b>758.01</b>	<b>680.00</b>	<b>...</b>	<b>680.00</b>	<b>741.80</b>	<b>...</b>	<b>741.80</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
7. राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
8. भारतीय पुनर्वास परिषद	6.40	...	6.40	4.50	...	4.50	4.50	...	4.50	5.00	...	5.00
9. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	35.34	...	35.34	25.00	...	25.00	23.30	...	23.30	25.00	...	25.00
10. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	408.85	...	408.85	370.00	...	370.00	391.97	...	391.97	430.19	...	430.19
11. राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता	35.00	...	35.00	25.00	...	25.00	31.00	...	31.00	35.00	...	35.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>485.59</b>	...	<b>485.59</b>	<b>424.51</b>	...	<b>424.51</b>	<b>450.77</b>	...	<b>450.77</b>	<b>495.20</b>	...	<b>495.20</b>
<b>अन्य</b>												
12. वास्तविक वसूलियां	-1.65	...	-1.65	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय</b>	<b>483.94</b>	...	<b>483.94</b>	<b>424.51</b>	...	<b>424.51</b>	<b>450.77</b>	...	<b>450.77</b>	<b>495.20</b>	...	<b>495.20</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1224.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1225.27</b>	<b>1166.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1167.27</b>	<b>1273.80</b>	<b>1.20</b>	<b>1275.00</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1115.35	...	1115.35	1112.02	...	1112.02	1068.07	...	1068.07	1172.62	...	1172.62
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	25.93	...	25.93	36.25	...	36.25	30.00	...	30.00	31.50	...	31.50
3. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.96	0.96	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20	...	1.20	1.20
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1148.27</b>	<b>1.20</b>	<b>1149.47</b>	<b>1098.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1099.27</b>	<b>1204.12</b>	<b>1.20</b>	<b>1205.32</b>
<b>अन्य</b>												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	75.80	...	75.80	68.00	...	68.00	69.68	...	69.68
<b>जोड़-अन्य</b>	...	...	...	<b>75.80</b>	...	<b>75.80</b>	<b>68.00</b>	...	<b>68.00</b>	<b>69.68</b>	...	<b>69.68</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1141.28</b>	<b>0.96</b>	<b>1142.24</b>	<b>1224.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1225.27</b>	<b>1166.07</b>	<b>1.20</b>	<b>1167.27</b>	<b>1273.80</b>	<b>1.20</b>	<b>1275.00</b>

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तपोषण और विकास	...	109.00	109.00	...	114.00	114.00	...	118.00	118.00	...	128.00	128.00
2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	...	70.90	70.90	...	80.00	80.00	...	92.00	92.00	...	112.00	112.00
<b>जोड़</b>	...	<b>179.90</b>	<b>179.90</b>	...	<b>194.00</b>	<b>194.00</b>	...	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	...	<b>240.00</b>	<b>240.00</b>

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय पर व्यय के लिए किया गया है।

2. **संबद्ध कार्यालय सीसीपीडी:** यह प्रावधान दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त (सीसीपीडी) के स्थापना व्यय के लिए है जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संबद्ध कार्यालय है।

3. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** यह प्रावधान जरूरतमंद दिव्यांगजनों को मजबूत, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता एवं उपकरणों की खरीद में सहायता करने के लिये विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए है जो दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकते हैं।

4. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** यह योजना शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध कार्यकलापों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों / गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
5. **दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस योजना के अंतर्गत स्वायत्त निकायों तथा विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को सुलभ भारत अभियान और दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यह विशेष रूप से पुनर्वास और बाधा मुक्त पहुँच के प्रावधान से संबंधित है।
6. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** इस व्यापक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को अपनी आजीविका अर्जित करने और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थान पाने के लिए पढ़ाई जारी रखने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि उन्हें पढ़ाई और जीवन यापन करने में कई -शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
7. **राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगजन अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए किया गया है।
8. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** भारतीय पुनर्वास परिषद दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण में देश में समान मानको को लागू करने के लिये शीर्ष वैधानिक निकाय है।
9. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** यह केंद्र दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
10. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** इसमें दिव्यांग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित की जाती हैं।
11. **राष्ट्रीय न्यास के लिए बजटीय सहायता:** राष्ट्रीय न्यास विभाग का सांविधिक निकाय है जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन के लाभ के लिये राष्ट्रीय न्यास को उनकी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यय विभाग के अनुमोदन और ईएफसी की सिफारिशों से इस योजना को सीएस से अन्य सीएस के रूप में परिवर्तित किया गया है।